भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2976

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

घग्घर नदी

2976. कुमारी सैलजा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों से गुजरने वाली घग्घर नदी का जल पेयजल और सिंचाई के लिए उपयुक्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त नदी के जल का परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका टीडीएस स्तर क्या है; और

(ग) क्या उक्त नदी प्रदूषित/संदूषित पाई गई है तथा इसका जल पीने और सिंचाई के लिए अनुपयुक्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या के समाधान के लिए क्या योजना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): नवंबर, 2022 में सीपीसीबी द्वारा प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, घग्गर नदी पर दो प्रदूषित खंडों; पंजाब और हरियाणा राज्यों में एक-एक खंड की पहचान की गई है। वर्ष 2023 के लिए घग्गर नदी के जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों के आधार पर, सीपीसीबी ने सूचित किया है कि हरियाणा राज्य में कुल घुलित ठोस पदार्थ (टीडीएस) 198-1068 मिलीग्राम प्रति लीटर और पंजाब में 248-2010 मिलीग्राम/लीटर की सीमा में पाए गए। इसके अलावा, घग्गर नदी को इस अवधि के दौरान वर्ग ई (सिंचाई, औद्योगिक शीतलन) के लिए नामित सर्वोत्तम उपयोग जल गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करते हुए पाया गया। पानी की गुणवत्ता के आधार पर सतही जल को पीने के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु पारंपरिक उपचार और कीटाणु-शोधन की आवश्यकता होती है।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे सीवेज और औद्योगिक बहि:स्राव को प्राप्तकर्ता जल निकायों या भूमि में प्रवाहित करने से पहले उनमें प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें।

देश में गैर-गंगा बेसिन में नदियों के संरक्षण के लिए, यह मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा कर रहा है। इस योजना के तहत, घग्गर नदी के संरक्षण के लिए पंजाब के विभिन्न शहरों में 15 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता तैयार की गई थी।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के लिए कुल 291.7 एमएलडी क्षमता के 28 एसटीपी स्थापित किए गए हैं और 97 एमएलडी के 15 एसटीपी निर्माणाधीन हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि घग्गर कार्य योजना के तहत राज्य में नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 588 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता तैयार की गई है।

*****